

परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री की घोषणा में जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग—नैनीसैण के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.280 हेठो सिविल वन भूमि, 0.350 हेठो वन पंचायत भूमि, 5.320 हेठो आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.500 हेठो कुल भूमि 6.450 हेठो सिविल/वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो०नि०वि० का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

अमान

कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

यम संत्राधिकारी
परिवारी पिण्डारं राजि
नारायणनाडु

हेठो—
प्रभागीय वनाधिकारी

संभानीय वनाधिकारी
बद्रोन य वन भा।
बोपंश्वर (पमालो)